संख्या–4260/26–2–03–4(9)/2000

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

समाज कल्याण–अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 16 जनवरी– 2004

विषय: समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित निजी क्षेत्र में विद्यालयों/पाठशालाओं मे रिक्त होने वाले पदों का अनुमोदन तथा नये पदों के सृजन के सम्बन्ध में:

महोदय,

उपरोक्त विषयक तत्कालीन निदेशक, श्री श्रीकृष्ण के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–1981/सक/शिक्षा/2001 दिनांक 22.12.2001 के सन्दर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन के संज्ञान मे यह तथ्य आया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित प्राथमिक शिक्षणों मे शासन द्वारा स्वीकृत पदों को रिक्ति मे नियुक्ति का अनुमोदन निदेशक, समाज कलण द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इन विद्यालयों को आवर्तक सूची पर लिये जाने विषयक शासनादेश संख्या–1386/26–3–92–9(9)/(2) दिनांक 31 मार्च– 92 की शर्व संख्या–9 तथा शासनादेश संख्या–514/26–3–94–9(6)/93 दिनांक 31 मार्च–94, की शर्त संख्या–7 मे यह उल्लेख है कि कार्यरत अध्यापकों के रिक्त होने वाले पदों पर तथा कार्यरत अध्यापकों के अतिरिक्त शेष पदो पर नियुक्तियां बिना शासन के आदेशों के नहीकी जायेगी। उक्त शासनादेशों मे स्पष्ट निर्देशों के बाद भी निर्देशक द्वारा इन विद्यालयों मे अध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन दिया जाना नियमानुसार नही है। यह भी संज्ञान मे आया है कि कतिपय जनपदों मे जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी इन नियुक्तियो पर अनुमोदन सीधे प्रदान किया गया है। शासन द्वारा उक्त अधिनियम कार्यवाही को गम्भीरता से लिया गया है।

2– समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों मे शासन द्वारा स्वीकृत पदों की रिक्ति मे नियुक्ति का अनुमोदन उक्त शासनादेश दिनांक 31.03.92 तथा31.03.94 की शर्तो के अनुरूप शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही नियुक्ति/वेतन भगतान की कार्यवाही की जायय तथा अब तक जिन मामलों मे निदेशक अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अनुमोदन दिया गया है उन्हें तत्काल शासन को सन्दर्भित किया जाय। उक्त आदेशों का कडाइ से अनुपालन सुनिश्चित हो।

भवदीय
हस्ताक्षर–अस्पष्ट
(चन्द्र प्रकाश)
सचिव।

कविता